



## कार्यालय-ज्ञाप

परीक्षा समिति की 14वीं बैठक दिनांक 04.11.2023 के निर्गत कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-3/14 में परीक्षा विनियमन, 2020 में विर्णित व्यवस्थानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को अधिसत्र परीक्षा में प्रतिभागिता के संबंध में परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय प्रदान किया गया है :-

विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की अधिसत्र के अंत में होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु विश्वविद्यालय परीक्षा विनियमन-2020 के बिन्दु संख्या-1 उपस्थिति के संबंध में वर्णित व्यवस्थानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को अधिसत्र परीक्षा में प्रतिभाग किए जाने हेतु संबंधित अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित शिक्षकवृन्द तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थाओं के प्राचार्य/समन्वयक द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थिति को अधिसत्र परीक्षा से पूर्व अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने के उपरान्त ही संबंधित विद्यार्थियों का परीक्षा प्रवेश-पत्र निर्गत किया जायेगा।

आगामी मिड सेमेस्टर टेस्ट अवधि तक विद्यार्थी उपस्थिति के संबंध में जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है, संबंधित शिक्षकवृन्द विभागाध्यक्ष को सूचित करते हुए ऐसे विद्यार्थियों को चेतावनी-पत्र निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्तानुसार परीक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(डॉ० अमित कुमार राय)  
परीक्षा नियंत्रक

पत्रांक COE-618 /COE-31(II)/ DSMNRU/ परीक्षा समिति /2023-24

दिनांक:- 20 जनवरी, 2024

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति को मा० कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. कुलसचिव, विश्वविद्यालय।
3. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक को इस आशय से कि अपने स्तर से विभागीय शिक्षकवृन्द को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण, विश्वविद्यालय।
5. सम्बन्धित अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
6. सिस्टम एनॉलिस्ट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. प्रतिनिधि सम्बद्ध एजेन्सी, विश्वविद्यालय को अनुपालनार्थ।
8. गार्ड फाइल।

(डॉ० अमित कुमार राय)  
परीक्षा नियंत्रक